30/3/2021

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादीगण व परोकार सरकार उप0। बहस पूर्व सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादीगण के नाम राजस्व ग्राम झालरा पटवार हल्का दयाल की नांगल तह. नीमकाथाना में खातेदारी भूमि हैं। वादीगण का सही नाम कमशः रघुवीर व लीलाराम पुत्रगण भूराराम हैं। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड तैयार करते समय सहवन से वादीगण का घरेलु नाम राजस्व रिकॉर्ड में कमशः धोलाराम व सोहनलाल पुत्रगण भूराराम दर्ज कर दिया गया। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत की हैं जिनमें वादीगण का सही नाम कमशः रघुवीर व लीलाराम पुत्रगण भूराराम है। वाद पत्र में अंकित तथ्यों के समर्थन में बतौर साक्ष्य सह खातेदारान सुरेन्द्र पुत्र मालाराम जाति धानका व रामेश्वर पुत्र भूराराम जाति धानका के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य सह खातेदारान सुरेन्द्र पुत्र मालाराम जाति धानका व रामेश्वर पुत्र भूराराम जाति धानका के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम कमशः धोलाराम व सोहनलाल पुत्रगण भूराराम अंकित है। वादीगण का कथन कि वादीगण का सही नाम कमशः रघुवीर व लीलाराम पुत्रगण भूराराम हैं की पुष्टि मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड की प्रतियां एवं बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों के आधार पर वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.31 17:09:10 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम झालरा पटवार हल्का दयाल की नांगल तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 274 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम **धोलाराम व सोहनलाल पुत्रगण भूराराम** के स्थान पर

क्रमशः **रघुवीर व लीलाराम पुत्रगण भूराराम** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.31 17:09:10 IST
Reason: SelfAttested